न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 01/2025

अपीलार्कता

अम्बाराम पुत्र भावाराम जाति देवासी निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत मोकलसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. कानाराम पुत्र भावाराम जाति देवासी निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

नामान्तरकरण संख्या 3414 ग्राम पंचायत मोकलसर दिनांक 01.09.2024 के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता अपीलकर्ता
2. रेस्पोडेन्ट एकपक्षीय

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14.11.2025

अपीलकर्ता द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध रा.भू.अ. की धारा 75 के तहत पेश की गई है। अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा मोकलसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 2141/1625 रकबा 1.7644 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी अचलसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर से उसके हिस्से में से 0.8903 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रेय विलेख से सप्रतिफल क्रय कर विक्रेय विलेख उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीबद्ध करवाया बाद पंजीयन अपीलकर्ता ने विक्रेय विलेख की प्रति उक्त खेत में अपने नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी मोकलसर को प्रस्तुत की जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त अपीलकर्ता आम्बाराम का नाम नहीं लिख कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम से उक्त नामान्तरकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3414 में दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता के नाम संयुक्त रूप से दर्ज करना था, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरकरण संख्या 3414 अवैध व अनुचित तरीके से ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा पारित करवा दिया । अपीलधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ से अवैध अनुचित होने से अपीलकर्ता द्वारा उक्त अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

रेस्पोडेन्ट गण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलकर्ता वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलकर्ता वकील की बहस है कि अपीलकर्ता एवं रेस्पोडन्ट संख्या 2 द्वारा सरहद मौजा मोकलसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 2141/1625 रकबा 1.7644 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अचलसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर से उसके हिस्से में से 0.8903 हैक्टेयर भूमि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने संयुक्त रूप से जरिये पंजीकृत विक्रेय विलेख से सप्रतिफल खरीद कर विक्रेय विलेख उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीबद्व करवाया बाद पंजीयन अपीलकर्ता ने विक्रेय विलेख की प्रति उक्त खेत में अपने नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी मोकलसर को प्रस्तुत की जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त अपीलकर्ता आम्बाराम का नाम नहीं लिख कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा पारित करवा दिया जबकि पंजीबद्ध दस्तावेज का अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की गई है ग्राम पंचायत ने पंजीबद्व दस्तावेज को दरकिनार करते हुए उक्त नामान्तरकरण को पारित कर दिया अपीलधीन नामान्तरकरण अवैध व अनुचित होने से काबिल ए खारिज योग्य है।

हमने अपीलकर्ता अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन किया । पंजीबद्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का क्रय अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने संयुक्त रूप से अचलराम पुत्र समन्दरसिंह से खरीद किया जो उपपंजीयन सिवाना में दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested

13.01.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 284 में पुष्ठ संख्या 121 क्रम संख्या 202303096100101 पर पंजीबद्ध हुआ है, परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3414 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम दर्ज किया गया जो दिनांक 01.09.2024 को ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा पारित कर दिया, उक्त नामान्तरकरण को भरने व उसे पारित करने में भारी भूल की है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलकर्ता की अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3414 दिनांक 01.09.2024 को अपास्त किया जाकर, तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए बाद विधिवत सुनवाई ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2141/1625 रकबा 1.7644 में नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही कर। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:05 IST
Reason: SelfAttested